

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, चित्तौडगढ थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
प्र.इ.रि.स 15/22 दिनांक 20/11/2022
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट - धाराएं 7 पी.सी. एक्ट (संशोधन) 2018
(2) अधिनियम भा.द.स. - धाराएं -
(3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं -
3. (1) योजनामचा आम रपट संख्या समय
(2) अपराध के घटने का दिन मंगलवार दिनांक 18.01.2022 समय 02.03 पी.एम
(3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 15.12.2021 समय 09.35 ए.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक - लिखित
5. घटना स्थल :
(1) थाना से दिशा व दूरी - बजानिब दक्षिण दिशा, लगभग 470 किलोमीटर
(2) पता - राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, भगोरो का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ।
..... बीट संख्या जरायमदेही संख्या
(3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना जिला
6. परिवादी/सूचनाकर्ता -
परिवादी
(1) नाम : श्री वंजेग पाटीदार
(2) पिता का नाम : श्री कुबेर पाटीदार
(3) आयु : 52 साल
(4) राष्ट्रियता : भारतीय
(5) पासपोर्ट संख्या जारी होने की तिथि जारी होने की जगह
(6) व्यवसाय : प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय, भगोरो का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा
(7) पता : निवासी निवासी ग्राम खोडन तहसील गढी, जिला बांसवाडा ।
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
1. श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री नाथूलाल जी जैन उम्र 58 साल निवासी मकान नम्बर 04/15 न्यू हाउसिंग बोर्ड बांसवाडा हाल प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा ।
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण : -
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)
कम. सं. सम्पत्ति का प्रकार अनुमानित मूल्य वस्तु स्थिति
1. भारतीय चलन मुद्रा 3700 रुपये परिवादी श्री वंजेग पाटीदार, प्रबोधक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को प्रतिनियुक्ति से नही हटाने की एवज में आरोपी द्वारा 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग

✓

करना तथा इनमें से कुछ राशि पूर्व में प्राप्त करना तथा दिनांक 17.12.2021 दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता परिवादी से 1500 रुपये प्राप्त करना तथा शेष रिश्वत राशि 4000 रुपये की मांग करना तथा परिवादी द्वारा कुछ राशि कम करने की कहने पर 3700 रुपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा आज दिनांक 18.01.2022 को अपनी मांग अनुसार 3700 रुपये की रिश्वत राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रखना तथा ट्रेप पार्टी को आता देखकर उक्त रिश्वत राशि खिडकी से बाहर झाडियों के उपर फेंक दिया जिस पर उक्त रिश्वत राशि को दौराने कार्यवाही दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष बरामद करने के उपरान्त आरोपी श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा को गिरफ्तार किया गया ।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य – 3700 रुपये रिश्वत राशि
11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
प्रतापगढ ।

विषय : – कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् ।

महोदय,

प्रस्तुत विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मैं वंजेग पाटीदार रा0उ0मा0वि0 भगोरा का खेडा में प्रबोधक के पद पद प्रतिनियुक्त होकर वर्तमान में नियुक्त हूं । मुझसे मेरे विधालय के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जैन मुझे प्रतिनियुक्ति से नही हटाने की एवज में मुझसे 10000 रुपये (दस हजार रुपये) की रिश्वत राशि मांग रहे थे जिसमें उन्होंने मेरे से अब तक टूकडो मे 4500, चार हजार पांच सौ रुपये ले लिये है तथा शेष 5500, पांच हजार पांच सौ रुपये की रिश्वत राशि देने के लिये मेरे उपर बार-बार दबाव डाल रहे है तथा मेरी प्रतिनियुक्ति भी निरस्त करने की भी धमकी दे रहे है । मैं प्रधानाचार्य साहब को रिश्वत के रूप में 5500 (पांच हजार पांच सौ) रुपये नही देना चाहता हूं बल्कि इनको मैं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं, साथ ही प्रधानाचार्य महोदय से कोई उधार लेना देना नही है एवं ना ही कोई राजकीय राशि जमा करानी शेष है तथा इनसे कोई आपसी रंजिश या मनमुटाव नही है । कृपया कानूनी कार्यवाही करावें ।

प्रार्थी

एस.डी/-

वंजेग पाटीदार

रा0उ0मा0वि0 भगोरा का खेडा

ब्लॉक घाटोल, जिला बांसवाडा

राजस्थान

दिनांक 17.12.2021

W

**कार्यवाही पुलिस,
कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी प्रतापगढ**

दिनांक 18.01.2022 को समय करीब 11.50 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. विक्रम सिंह मय हमराहीयान जाप्ता श्री दलपत सिंह हैड कानि0, श्री श्याम लाल हैड कानि0, श्री खालिद हुसैन कानि0, एवं श्री मान सिंह कानि0 मय सरकारी वाहन टवेरा नम्बर आर.जे. 14 यू.बी. 8592 मय चालक श्री शेर सिंह कानि0 चालक के ब्यूरो कार्यालय चित्तौडगढ से रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ पर पहुंचा जहां पर श्री दिनेश कुमार कानि0 नम्बर 553, श्री सुरजमल कानि0 नम्बर 247 एवं श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक उपस्थित मिले तथा श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने बताया कि श्रीमान् के निर्देशानुसार तलविदा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित है जिस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को आदेशित किया कि दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को कार्यालय कक्ष में लेकर आवें जिस पर श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक, दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कक्ष मे लेकर आया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी को अपना परिचय देकर उनसे उनका परिचय पूछा तो दोनो स्वतन्त्र गवाहान ने अपना-अपना नाम क्रमशः श्री विरेन्द्र सिंह पिता तेजसिंह राठौड़ जाति राजपुत उम्र 31 वर्ष निवासी बापु गली, मकान नम्बर 111, धमोतर दरवाजा प्रतापगढ जिला प्रतापगढ, हाल पशुधन सहायक, कार्यालय जिला रोग निदान केन्द्र प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ (राज.) एवं श्री भूपेन्द्र सिंह पिता खुमाण सिंह सिसोदियां जाति राजपुत उम्र 30 वर्ष निवासी किला परिसर मकान नम्बर-9 प्रतापगढ, जिला प्रतापगढ, हाल पशुधन सहायक, कार्यालय भेड निष्क्रमण चैक पोस्ट प्रतापगढ जिला प्रतापगढ (राज.) होना बताया एवं परिवादी ने भी अपना नाम श्री वजेंग पाटीदार पुत्र श्री कुबेर पाटीदार उम्र 52 साल जाति पाटीदार निवासी ग्राम खोडन तहसील गढी, जिला बांसवाडा हाल प्रबोधक राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरा का खेडा तहसील घाटोल जिला बांसवाडा होना बताया था ।

तत्पश्चात् श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक कार्यालय से दिनांक 17.12.2021 को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना एवं ब्यूरो कार्यालय प्रतापगढ के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर के साथ ही श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने यह भी बताया कि उक्त डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर में दिनांक 17.12.2021 को परिवादी श्री वंजेग पाटीदार एवं आरोपी के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड है । इसके बाद श्री वंजेग पाटीदार के प्रार्थना पत्र को दोनो स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी के समक्ष पढकर सुनाया तथा दिखाया गया । परिवादी श्री वंजेग पाटीदार ने कहा कि यह वहीं प्रार्थना पत्र है जो मेरी हस्तलिपी में लिखा हुआ है तथा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.12.2021 को आपके कार्यालय के श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक को श्रीमान् के निर्देशानुसार दिया तथा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य सही है । इसके बाद कार्यालय के डिजिटल वॉईस टेप रिकॉर्डर को चलाकर परिवादी एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष सुना गया तो रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन होना पाया । उक्त वार्ता के बारे में परिवादी ने बताया कि इसमें एक आवाज मेरी है एवं एक आवाज श्री पवन कुमार जैन प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा, तहसील घाटोल जिला बांसवाडा की है । उक्त वार्ता की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट पृथक से तैयार की जावेगी ।

दर्ज रहे कि दिनांक 15.12.2021 को श्री हरभजन सिंह कनिष्ठ सहायक ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि आपके द्वारा पूर्व में अवगत कराये परिवादी श्री वंजेग पाटीदार का फोन आया है तथा उसने ट्रेप कार्यवाही करवाने के लिये कहा है तथा बताया कि मेरा नाम वंजेग पाटीदार है, मैं ग्राम खोडन तहसील गढी जिला बांसवाडा का रहने वाला हूं । मैं वर्तमान में प्रबोधक के पद पर राजकीय प्राथमिक विधालय रोहनिया मानेंग बी, में पदस्थापित होकर राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय भगोरो का खेडा पंचायत समिति घाटोल जिला बांसवाडा पर प्रतिनियुक्ति पर लगा हुआ हूं । मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य श्री पवन कुमार जैन मुझे प्रतिनियुक्ति से नही हटाने के लिये मेरे से 10000 रुपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है तथा करीबन 4500 रुपये की रिश्वत राशि मेरे टूकडों मे प्राप्त कर चुके है तथा शेष रिश्वत राशि 5500 रुपये मुझे और देने के लिये मेरे पर दबाव बना रहे है तथा रिश्वत राशि नही देने पर मेरी प्रतिनियुक्ति निरस्त करने की धमकी दे रहे है तथा परिवादी ने बताया कि उक्त सभी बात पूर्व मे आपको भी अवगत करा चुका है तथा श्रीमान्

W